भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2502

उत्तर देने की तारीख - 04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तिकरण

2502. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है;

(ख) उक्त योजना किस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नेतृत्व और उद्यमिता पहल के क्षेत्र में सहायता प्रदान करती है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कारीगरों को बाज़ार उपलब्ध कराने में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की क्या भूमिका है; और

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए बेहतर रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उद्योग भागीदारों को दिए जा रहे समर्थन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

क और ख) : कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुनः कौशलीकरण और कौशलोंन्नयन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस योजना में अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है, जो कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांगजनों और आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद(एलडबल्यूई), जनजातीय जिलों आदि जैसे भौगोलिक क्षेत्रों की कवरेज को सुनिश्चित करती हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों और अन्य सीमांत समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौशल विकास कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं सहित महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन

और भोजन और आवास पर खर्च को पूरा करने के साथ-साथ नियोजन के बाद सहायता की पूर्ति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 में उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और विशेष ध्यान देता है जिनमे महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में महत्व दिया जाता है। परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के अनुरूप बनाए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ग) : हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच), जो हस्तशिल्प क्षेत्र कौशल परिषद (एचसीएसएससी) का प्रवर्तक निकाय भी है, पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईपीसीएच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और प्रदर्शनियों में कारीगरों की भागीदारी को सुगम बनाकर बाजार पहुँच को बढ़ाने का काम करता है। यह डिज़ाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, और उभरते बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप विपणन रणनीतियाँ का समर्थन करता है। इस एकीकरण से हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण के बाद की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार होता है।

घ) : सरकार देश भर में पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य कौशल की कमी को दूर करना, नियोजनीयता में सुधार लाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं:

i. उद्योग 4.0, वेब 3.0, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था और एनर्जी ट्रांजिशन (ऊर्जा संक्रमण) जैसे नए युग के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना।
ii. मूल्यांकन में नवाचारों, बेहतर निगरानी के माध्यम से पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के तहत पुनः कौशलीकरण और कौशलोंन्नयन पर जोर दिया जाएगा।
iii. अभ्यर्थियों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) पर अधिक निर्भरता ।
iv. उद्योग के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना।
v. शैक्षिक संस्थानों अर्थात आईटीआई/स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संस्थान आदि के पास उपलब्ध आधारभूत संरचना का परस्पर उपयोग।
vi. सेमीकंडक्टर, 5जी, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, सौर मिशन, केयर, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीति घोषणाओं के अनुरूप प्रशिक्षण।

मंत्रालय ने कौशल संवर्धन के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) का भी शुभारंभ किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में देश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है।

****